

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

- | | |
|---|--|
| 1. अपील संख्या – 1630 / 2016 / उदयपुर
3. अपील संख्या – 1632 / 2016 / उदयपुर
5. अपील संख्या – 1634 / 2016 / उदयपुर | 2. अपील संख्या – 1631 / 2016 / उदयपुर
4. अपील संख्या – 1633 / 2016 / उदयपुर |
|---|--|

सहायक आयुक्त, वृत्त बी, उदयपुर

...अपीलार्थी

बनाम

मैसारा अलख नयन मंदिर आई इन्स्टीट्युट, उदयपुर

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

राजीव चौधरी, सदस्य

उपरिथित ::

श्री आर. के, अजमेरा

उप-राजकीय अभिभाषक।

श्री राकेश मेहता, अभिभाषक।

.....अपीलार्थी की ओर से

.....प्रत्यर्थी की ओर से

दिनांक : 03.08.2017

निर्णय

1. उक्त पांचों अपीलें अपीलार्थी राजस्व द्वारा अतिरिक्त आयुक्त (अपीलीय प्राधिकारी) उदयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के द्वारा प्रकरण संख्या क्रमशः 238, 239, 240, 241 व 242 / वैट / 2014–15 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वैट अधिनियम' कहा गया है) की धारा 83 के तहत पारित संयुक्त आदेश दिनांक 14.03.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।
2. उक्त समस्त प्रकरणों में पक्षकार व विवादित विन्दु समान होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जाये।
3. उक्त समस्त प्रकरणों के संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी द्वारा आंखों के ऑपरेशन करने पर लेन्स लगाये जाते हैं व दवाईयां दी जाती हैं। जिसकी राशि प्रत्यर्थी द्वारा एकमुश्त ली जाती है। सहायक आयुक्त, वृत्त-ब, उदयपुर (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) द्वारा कर निर्धारण वर्ष क्रमशः 2009–10, 10–11, 11–12, 12–13 व 2013–14 हेतु दिनांक 13.01.2015 को आदेश पारित करते हुए प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा ली गई एकमुश्त राशि पर कर, ब्याज व वार्षिक बिक्री विवरण प्रपत्र समय पर प्रस्तुत नहीं करने पर शास्ति का आरोपण किया गया। इसके अतिरिक्त प्रत्यर्थी द्वारा चाहा कर का समायोजन भी अस्वीकार किया गया। उक्त प्रकरणों का विवरण निम्न प्रकार है:-

अपील संख्या	अधीनस्थ न्यायालय की अपील संख्या	कर नि. वर्ष	आदेश दिनांक	कर	शास्ति	ब्याज	कुल मांग राशि
1630/2016	238/VAT/14-15	2009-10	13.1.15	42,254	97184	24084	163522
1631/2016	239/VAT/14-15	2010-11	13.1.15	124411	286145	55985	466541
1632/2016	240/VAT/14-15	2011-12	13.1.15	167809	3,85,961	55377	609147
1633/2016	241/VAT/14-15	2012-13	13.1.15	221822	5,68,688	46587	837119
1634/2016	242/VAT/14-15	2013-14	13.1.15	138048	4,01,096	12424	551568

मामूली
03/08/17

लगातार.....2.

कर निर्धारण अधिकारी के इस आदेश के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा उक्त बिकी पर कर का दायित्व होने से करारोपण को उचित माना गया व प्रत्यर्थी फर्म द्वारा फर्म का रजिस्ट्रेशन दिनांक 25.11.2014 को होना मानते हुए वार्षिक बिकी विवरण समय पर प्रस्तुत नहीं किये जाने को अविधिक मानते हुए आरोपित शास्ति व विलम्ब शुल्क को अपार्स्त किया गया। इसके अतिरिक्त अपीलीय अधिकारी द्वारा समस्त बिकी का इन्ड्राज प्रत्यर्थी फर्म की लेखा पुस्तकों पर पाये जाने से वैट अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति को अपार्स्त किया गया व कर के समायोजन के संबंध में प्रकरणों को कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित करते हुए निर्देश दिये गये कि वे आयुक्त महोदय के परिपत्र दिनांक 21.10.2014 के क्रम में आईटीसी का सत्यापन कर समायोजन दे। अपीलीय अधिकारी के इस निर्णय दिनांक 14.03.2016 से असंतुष्ट होकर विभाग द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

4. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
5. विभागीय पैराकार द्वारा अपीलीय अधिकारी के आदेश का खण्डन करते हुए कथन किया गया कि प्रत्यर्थी द्वारा आलौच्य अवधि में की गई बिकी पर कर का भुगतान नहीं किया व नियमित तिथि तक बिकी विवरण प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किये गये। इन पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर, ब्याज, विलम्ब शुल्क व शास्ति का आरोपण किया गया, जो विधिनुसार उचित था। अपीलीय अधिकारी द्वारा बिना उचित कारण, विधि के विपरित जाकर आदेश पारित किया गया है, जो अविधिक व अनुचित होने से अपार्स्त किये जाने योग्य है। अपने इस कथन के साथ विभागीय पैराकार द्वारा अपीलीय अधिकारी के आदेश को निरस्त करने पर विभागीय अपीलों को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।
6. प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा समस्त तथ्यों व विधिक स्थिति को मध्यनजर रखते हुए आदेश पारित किया है। जिसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। अतः अपीलीय आदेश को बहाल रखे जाने व विभागीय अपीलों को अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।
7. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया व उपलब्ध रिकोर्ड का परिशीलन किया गया।
8. प्रत्यर्थी व्यवहारी एक ट्रस्टी है। अपीलार्थी के कर योग्य चिकित्सकीय माल की खरीद कर उसे बिना कर चुकाये खरीद दर से अधिक दर पर चिकित्सकीय माल का विक्रय किये जाने पर अपीलार्थी के द्वारा कर चुकाये जाने का दायित्व होने के कारण अपीलार्थी द्वारा कर राजकोष में जमा कराये जाने का दायित्व होने पर भी

लगातार.....3.

03/08/17

जमा नहीं कराये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर की संरचना करते हुये कर मांग निर्धारण किय जाना विधिसम्मत है। राजस्थान मूल्य परिवृद्धि कर अधिनियम, 2003 की धारा 2(35) एवं श्रीमान् आयुक्त महोदय के परिपत्र क्रमांक F-1(Tax/DC/AE/2014/2402 दिनांक 25.04.2014 के अनुसार भी यह संव्यवहार स्पष्ट रूप से कर योग्य बिक्री की श्रेणी में आता है। जो निम्न प्रकार है:-

"Tax Evasion on investigation of Goods used in healthcare sector in reference to entry tax/VAT:- Some hospitals and diagnostic centers situated in the State are importing various diagnostic and therapeutic equipments from other State on which they are not paying entry tax, but such equipments are taxable under Th Rajasthan Tax on Entry of Goods into Local Areas Act, 1999, unless VAT is paid on them.

Some other hospitals are not paying VAT on implants like intra ocular lens & stents etc. sold by them to their patients at rates higher than the purchase price VAT is applicable on the additional turnover due to such sales."

अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर एवं ब्याज को अपीलीय अधिकारी द्वारा कायम जाना विधिसम्मत है।

9. प्रत्यर्थी द्वारा आंखों के लेन्स का व दवाईयों को विक्रय किया जाकर एकमुश्त राशि ली जाती है, जो की विक्रय की श्रेणी में आता है व इस राशि पर कर की देयता बनती है। कर निर्धारण अधिकारी के कर के विन्दु पर इस आदेश का अपीलीय अधिकारी द्वारा पुष्टि किया जाना विधिसम्मत है।
10. जहां तक बिक्री विवरण देरी से प्रस्तुत करने का प्रश्न है, के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी का वैट अधिनियम के तहत पंजीयन ही दिनांक 25.11.2014 को हुआ था। अतः इससे पुर्व वैट अधिनियम के तहत वार्षिक बिक्री विवरण प्रपत्र भर कर जमा कराया जाना सम्भव नहीं था तथा प्रत्यर्थी के विरुद्ध कर व ब्याज को आरोपित किया गया है। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति व विलम्ब शुल्क को अपास्त किये जाने में अपीलीय अधिकारी द्वारा कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित नहीं की गयी है।
11. माननीय उच्चतम न्यायालय की सिविल अपील संख्या 5134-5135 ऑफ 2002 मैसर्स श्री कृष्ण इलेविट्कल्स बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु एवं अन्य निर्णय दिनांक 21.04.2009 में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया :-

"So far as the question of penalty is concerned the items which were not included in the turnover were found in incorporated in the appellant's account books where certain items which are not included in the turnover are disclosed in the dealer's own account books and the assessing authorities includes these items in the dealers turnover disallowing the exemption penalty cannot be imposed. The penalty levied stands set aside."

*अपीलीय
03/08/17*

लगातार.....4.

12. वैट अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति के संबंध में यह स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रत्यर्थी व्यवहारी की लेखा पुस्तकाओं में विकी के संव्यवहार दर्ज नहीं है, ऐसा कर निर्धारण अधिकारी का निष्कर्ष नहीं है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा लेखा पुस्तकाओं में अंकित संव्यवहार को मिथ्या घोषित नहीं किया और न ही उसमें किसी प्रकार की अनियमितता या त्रुटि का निष्कर्ष दिया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मैरसो श्री कृष्णा इलेक्ट्रिकल्स बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु एवं अन्य निर्णय दिनांक 21.04.2009 में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में अपीलीय अधिकारी द्वारा वैट अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त किया गया है। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा शास्ति को अपास्त करने में कोई त्रुटि कारित नहीं की है।
13. अपीलीय अधिकारी द्वारा कर के समायोजन के संबंध में प्रकरणों को कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित करते हुए निर्देश दिये गये कि वे परिपत्र संख्या 7 क्रमांक एफ.16(97) टैक्स/सीसीटी/14-15/2795 दिनांक 21.10.2014 के क्रम में आईटीसी की जांच कर सत्यापन कर समायोजन करने के आदेश पारित किया गया। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी राजस्व द्वारा आक्षेपित आदेश दिनांक 14.03.2016 द्वारा आईटीसी का सत्यापन कर समायोजन करने को वर्तमान अपील में चुनौती नहीं दी गयी है तथा बहस में राजस्व द्वारा इस बिन्दु पर कोई बल भी नहीं दिया गया। अतः इस बिन्दु पर कोई निष्कर्ष एवं विवेचन किया जाना उचित नहीं है।
14. उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलीय अधिकारी द्वारा समस्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए विधिसम्मत आदेश पारित किया गया है जिसमें किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलीय अधिकारी का आदेश दिनांक 14.03.2016 विधिसम्मत होने से पुष्ट किये जाने योग्य है तथा राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकर किये जाने योग्य है।
15. परिणामस्वरूप अपीलार्थी राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है तथा अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 14.03.2016 की पुष्टि की जाती है।
15. निर्णय सुनाया गया।

*Amrit
03/08/12*
(राजीव चौधरी)
सदस्य